



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान व्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी०१० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-४९२००५ (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-०७७१-२२८२५३०, २२८५५९० ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्र०- छ०ग०/जांजगीर-चांपा/चू०प०-०२/रायपुर खण्ड-२ ३८एम०पी०आर० ०६००३ दिनांक:-१२/१२/२०१९
प्रति,

श्री संजय कुमार त्यागी, वाईस प्रेसीडेंट एवं खान ऐजेंट,
सर्वश्री नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
(पूर्व में लाफार्ज इंडिया लिमिटेड),
अरसमेटा सीमेंट प्लांट,
पोस्ट- गोपाल नगर, तहसील- अकलतरा,
जिला- जांजगीर - चांपा, पिन कोड- 495 663 (छत्तीसगढ़)।

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर-चांपा जिले में स्थित आपकी अरसमेटा चूनापत्थर खदान ४९९.
९८७ हेक्टेएर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।
महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक ०६/११/२०१९ को श्री रीतेश कैमल, हेड (मार्झिन्स) एवं खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है :-

| नियम | उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत व्यूरा |
|----------------|--|
| Rule 45 (7) | <p>Annual return for F.Y. 2018-19:</p> <p>(i) Part I; 12: As per the approved Modified Mining Plan, 237.708 ha. lease area has been considered for calculation of Financial Assurance up to the end of the Plan Period whereas, 296.610 ha. area has been utilized till the end of F.Y. 2018-19. Financial Assurance in the form of Bank Guarantee for the excess used 58.902 ha. lease area has to be submitted under rule 27(1) of MCDR, 2017 to the authorized officer.</p> <p>(ii) Part V: 4.2(B) (ii) Mineral Rejects generated with grades (tonnes): Since there is no mineral reject present in the mine and the mentioned quantity in this para is below the threshold value hence, this quantity may be removed from this para and same may be shown in para Part V; 4.2 (C) Total quantity of Overburden/Waste removed during the year (tonnes) may be mentioned.</p> <p>(iii) Part VI; Production, Dispatches and Stock: ROM (Production) & Grade Wise Production (1691857.000 Metric Tonnes) reported in the annual return for the F.Y. 2018-19 is not matching with the ROM (Production) & Grade Wise Production (1654871.260 Metric Tonnes) reported in the Monthly Returns for the month of April 2018 to March 2019.</p> <p>(iv) Part VI; Ex-mine price for the cement grade Limestone should be similar to the cost of production as computed in Part VII. (For Captive Use)</p> |

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के नियम ६२ के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के नियम ४५(7) के अंतर्गत:-
(क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपराक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से ४५ दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान व्यूरो, रायपुर

क०प०प०..२.

प्रतिलिपि: सूचनार्थ हेतु :—

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र) — 440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर